11/07/22 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप.। पत्रावली में बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दि. 22.07.22 को पेश हो।

22/07/22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि राजस्व ग्राम मानपुरा पटवार हल्का खादरा तहसील नीमकाथाना स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 170/1 की खातेदारी वर्तमान में इन्द्रलाल पुत्र गोपीराम हि0 1/2, उदा पुत्र प्रहलाद हि0 1/4, बनवारी पुत्र प्रहलाद हि0 1/4 दर्ज है जो कि गलत दर्ज है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी का गत खसरा न0 67 रकबा 1.01 हैक्ट0 था जिसकी खातेदारी उदा, बनवारी, बांदु पुत्र प्रहलाद के नाम दर्ज थी। खातेदार बांदु ने अपने 1/3 हिस्से का बेचान कृष्ण गोपाल शर्मा पुत्र घासीराम को दिनांक 11.05.2010 को विक्रय एवं ततपश्चात बटवारा के पश्चात नवीन खसरा न0 67/1 व 67/2 बने है। खसरा न0 67/1 रकबा 0.68 हैक्ट0 की खातेदारी उदा, बनवारी पुत्र प्रहलाद के नाम दर्ज रही। उक्त खसरा नं0 67/1 रकबा 0.68 हैक्टे0 में उदा पुत्र प्रहलाद ने अपना 1/2 हिस्सा इन्द्रलाल पुत्र गोपीराम को बेचान कर दिया जिसका नामा0 सं 1312 सही दर्ज किया गया परन्तु राजस्व रिकार्ड में खातेदारी बनवारी पुत्र प्रहलाद हि0 1/2, इन्द्रलाल पुत्र गोपीराम हि0 1/2 के स्थान पर राजस्व कार्मिकों ने सहवन से इन्द्रलाल पुत्र गोपीराम हि0 1/2, उदा पुत्र प्रहलाद हि0 1/4, बनवारी पुत्र प्रहलाद हि0 1/4 दर्ज कर दी जो दुरुस्तनीय है। अतः वर्तमान खसरा नं0 170/1 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड इन्द्रलाल पुत्र गोपीराम हि0 1/2, उदा पुत्र प्रहलाद हि0 1/4, बनवारी पुत्र प्रहलाद हि0 1/4 के स्थान पर इन्द्रलाल पुत्र गोपीराम हि0 1/2, बनवारी पुत्र प्रहलाद हि0 1/2 दर्ज करने के आदेश तहसीलदार नीमकाथाना को दिये जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में वर्तमान जमाबन्दी, जमाबन्दी सम्वत 2069-72, मिलान क्षेत्रफल, नामा0 1298, 1312 विक्रय पत्र 02.11.2011 की प्रतियां पेश की है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा बतौर गवाहान मक्खन लाल सैनी पुत्र मागूराम सैनी नि0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म ... तामील में ...

मानपुरा, अशोक कुमार सैनी पुत्र रामेश्वर प्रसाद सैनी नि0 मानपुरा के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्रलाल पुत्र गोपीराम हि0 1/2, उदा पुत्र प्रहलाद हि0 1/4, बनवारी पुत्र प्रहलाद हि0 1/4 गलत दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में इन्द्रलाल पुत्र गोपीराम हि0 1/2, बनवारी पुत्र प्रहलाद हि0 1/2 सही दर्ज किया जाना उचित है की पुष्टि नामा0 सं0 1312 व विक्रय पत्र दिनांक 02.11.2011 से होती है। स्वयं तथा गवाहान के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र से भी इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है:-

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
मानपुरा	खसरा संख्या 170/1	इन्द्रलाल पुत्र गोपीराम हि0 1/2, उदा पुत्र प्रहलाद हि0 1/4, बनवारी पुत्र प्रहलाद हि0 1/4	इन्द्रलाल पुत्र गोपीराम हि0 1/2, बनवारी पुत्र प्रहलाद हि0 1/2

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner